

क्रांक 3ए 8 भत्ता 01/2017-6440/वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

रचना पाटिल,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/
सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/
सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक : 13/07/26

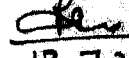
विषय :- जाँच-आयोग, बोर्ड, समिति या न्यायालयीय/विभागीय-जाँच की गवाही/सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित होने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को यात्रा-भत्ता एवं भोजन शुल्क अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उचित प्राधिकारी द्वारा संयोजित किसी जाँच-आयोग, बोर्ड या समिति की किसी बैठक में सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को सक्षम पदाधिकारी के आदेश के आलोक में भाग लेना पड़ता है। साथ ही, न्यायालयीय/आनुशासनिक कार्यवाहियों में सरकारी/अभियोजन पक्ष द्वारा भी गवाही/सुनवाई हेतु बुलाया जाता है। ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को ऐसी बैठकों/कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु किस दर से यात्रा भत्ता एवं भोजन शुल्क अनुमान्य होगा, इसके संबंध में बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, 1949 के प्रावधानों के संबंध में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा पृच्छा की जाती रही है।

2. यात्रा-भत्ता नियमावली में विहित प्रावधानों एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उचित प्राधिकारी द्वारा संयोजित किसी जाँच आयोग, बोर्ड, समिति या न्यायालयीय/विभागीय जाँच की गवाही/सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता एवं भोजन शुल्क के संबंध में अन्यथा कोई उपबंध न हो, तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय धारित वेतनमान/वेतनस्तर के अनुसार विहित दर/पुनरीक्षित दर से यात्रा भत्ता एवं भोजन शुल्क अनुमान्य होगा।

विश्वासभाजन


13-7-26
(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

उप सचिव
मुख्यालय (स्थापना)
जल संसाधन विभाग

ई-मेल

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:-01/स्था0-26-18/2024-

4160

पटना, दिनांक- 22/07/2026

प्रतिलिपि:- विभाग (मुख्यालय एवं मुख्य अभियंता कार्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/कार्यपालक अभियंता IT, WRD IT Centre, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं IT Manager, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सभी मुख्य अभियंताओं को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

(संजय प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

सचिव
जल संसाधन विभाग
क्रा. सं. 6431
7/2026 डायरी सं. 6431
दिनांक 14/07/26

कोषागार